राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 211/2010/जयपुर

मैसर्स बॉस लि0 पूर्व नाम मै0 मोटर इण्डस्ट्रीज कं0 लि0,
ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 174/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/एच/2007–08 में पारित किये गय आदेश दिनांक 24.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वाहन संख्या आरजे–14–जी–1952 को यू.पी. से जयपुर आते समय भिवाड़ी पर रोक कर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग वाहन चालक से वाहन में लदे माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र एस.टी.18ए पेश किये। सशक्त अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया कि घोषणा पत्र–18ए संख्या 13573/17 के मुख्य कॉलम रिक्त पाये गये। परिवहनित माल अधिसूचित होने के कारण माल के साथ घोषणा पत्र एसटी 18ए का माल के परिवहन के दौरान पूर्ण भरा हुआ होना चाहिये था। सशक्त अधिकारी ने वक्त चैकिंग घोषणा पत्र एसटी 18ए के रिक्त पाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम(जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(2) का उल्लंघन मानते हुए, अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत परिवहनित माल फिल्टर व एलीमेन्टस कीमतन रू0 3,27,280/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 98,184/–अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.1999 द्वारा आरोपित कर दी गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24.12.2009 द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी द्वरा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल के साथ वक्त चैकिंग बिल,बिल्टी एवं घोषणा पत्र एस.टी.18 ए मौजूद था। एसटी18ए में माल की कीमत, माल की किस्म एवं माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के कालम्स की पूर्ति की हुई थी। आगे तर्क किया कि एसटी 18ए के अलावा अन्य

लगातार.....2

दस्तावेजों के संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा संशय प्रकट नहीं किया गया है। केवल मात्र एसटी 18ए के कुछ कॉलम्स रिक्त मानकर जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत नही है। अग्रिम तर्क किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा एसटी 18ए के मुख्य कॉलम्स की पूर्ति कर दी गयी थी। उनका निवेदन था कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को अपास्त करते हुए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिविरुद्ध बताते हुये, आरोपित शास्ति को यथावत रखने का निवेदन किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किंया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र 18ए की अति महत्वपूर्ण प्रविष्टिया रिक्त पायी गयी। घोषणा पत्र कॉलम संख्या 6 में बीजक संख्या, चालान संख्या और तारीख का अंकन नहीं किया जाना पाया गया। कॉलम संख्या 7–क में वाहन संख्या एवं परिवहन कम्पनी के नाम का उल्लेख प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार इस घोषणा पत्र एसटी. 18ए को पूर्ण भरा हुआ विधिक घोषणा पत्र नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 के अनुसार यह प्रतिपादित किया है कि एसटी 18ए के मुख्य कॉलम्स की पूर्ति नहीं होने पर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के विधिक प्रावधानानुसार शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। ऐसी स्थिती में सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 78(2) एवं नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर पर जो शास्ति का अधिरोपण किया है, वह विधिसम्मत है। अप़ीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में शास्ति आरोपण के आधार का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने भी इसे यथावत रखने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है।

6. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिंनाक 24.12.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष